पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 03.06.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 04.06.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 04.06.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी है।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा ईद-उल-अज़हा (बकरीद) पर्व को शान्तिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराए जाने हेतु जनपद के सभी थानों के त्यौहार रजिस्टरों का अवलोकन कर समीक्षा की गयी दिये गए आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनांक- 04.06.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा आगामी त्यौहार ईद-उल-अज़हा (बकरीद) के दृष्टिगत जनपद में कानून-व्यवस्था एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से त्यौहार रजिस्टर की समीक्षा हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनपद के समस्त थानों के थाना मुंशियों को त्यौहार रजिस्टर के साथ आमंत्रित किया गया था। बैठक के दौरान सभी थानों के त्यौहार रजिस्टरों का गहन अवलोकन किया गया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सम्बन्धित को निर्देशित किया गया कि बकरीद पर्व के अवसर पर संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जाए, शांति समिति की बैठकों का आयोजन कर सभी समुदायों के सम्मानित नागरिकों से संवाद स्थापित किया जाए तथा सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह अथवा भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाए।

उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि समस्त थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में प्रभावी गश्त, रात्रिकालीन पेट्रोलिंग तथा खुफिया संकलन को प्राथमिकता दें, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की संभावनाओं को समय रहते रोका जा सके।

जनपद पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि वे आपसी भाईचारे एवं सौहार्द को बनाए रखते हुए त्यौहार को शांतिपूर्ण एवं उल्लासपूर्वक मनाएं। किसी भी प्रकार की सूचना या समस्या की स्थिति में तत्काल नजदीकी पुलिस थाने अथवा हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 04.06.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

“डग्गामारी पर पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्यवाही”

नियमों को ताक में रखकर राजस्व को क्षति पहुंचाने वाले 07 वाहन किये गये सीज...।

आज दिनांक- 04.06.2025 को जनपद महोबा में डग्गामारी की बढ़ती सूचनाओं और इसके कारण रोडवेज को हो रहे राजस्व नुकसान की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए, जिलाधिकारी महोबा श्रीमती गजल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन गठित की गयी पुलिस एवं प्रशासनिक टीम ने अभियान चलाकर डग्गामार वाहनों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की है।

जनपद महोबा में विशेष चेकिंग अभियान के दौरान कुल 07 अवैध रूप से संचालित वाहनों को चिन्हित किया गया, जिनमें से 01 डबल डेकर बस, 01 बस तथा 5 क्रूजर वाहन शामिल हैं। सभी वाहनों को नियमानुसार सीज किया गया है।

उल्लेखनीय है कि जनपद में अवैध रूप से चलने वाले वाहनों के कारण रोडवेज की आय में प्रतिदिन भारी गिरावट हो रही है। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन विभाग, पुलिस विभाग एवं अन्य प्रशासनिक इकाइयों की संयुक्त टीम गठित की गई तथा प्रभावी कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए थे।

इस संयुक्त कार्यवाही में उपजिलाधिकारी सदर श्री जितेन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे, एआरटीओ महोबा श्री दयाशंकर, प्रभारी यातायात महोबा श्री सुनील कुमार सिंह, एआरएम महोबा सहित अन्य सम्बन्धित अधि./कर्म.गण मौजूद रहे।

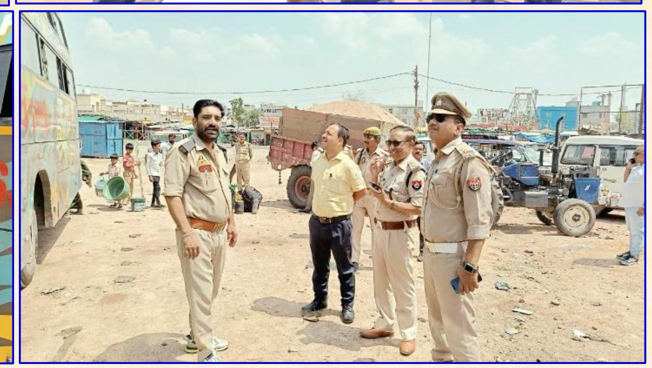

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

मारपीट, गालीगलौज एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है...।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप जे0एम0 कोर्ट कुलपहाड़ महोबा द्वारा मारपीट गालीगलौज एवं जान से मारने की धमकी दिए जाने से सम्बन्धित आरोपी 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कुलपहाड़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 95/2010 धारा- 323/504/506 भादवि से सम्बंधित आरोपी 02 अभियुक्त क्रमश: 1.छिद्दी रैकवार पुत्र हल्काई 2.सनेही पुत्र छिद्दी रैकवार नि.गण कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

महमूदुर रहमान,
सहायक अभियोजन अधिकारी

कां. राहुल,
पैरोकार थाना कुलपहाड़

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

शस्त्र अधिनियम के अभियोग में आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा की गयी गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन के साथ मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप जे.एम. कोर्ट चरखारी द्वारा शस्त्र अधिनियम के अभियोग में परीक्षणोपरांत नामित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कुलपहाड़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 647/2012 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त कमलेश पुत्र रामगोपाल नि. दुलारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को जेल में बिताई गयी अवधि व 1500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।

महमूदुर रहमान,
सहायक अभियोजन अधिकारी

कां. राहुल,
पैरोकार थाना कुलपहाड़

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

घर में घुसकर नाबालिक के साथ छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी अभियुक्त को न्यायालय ने किया दण्डित...।

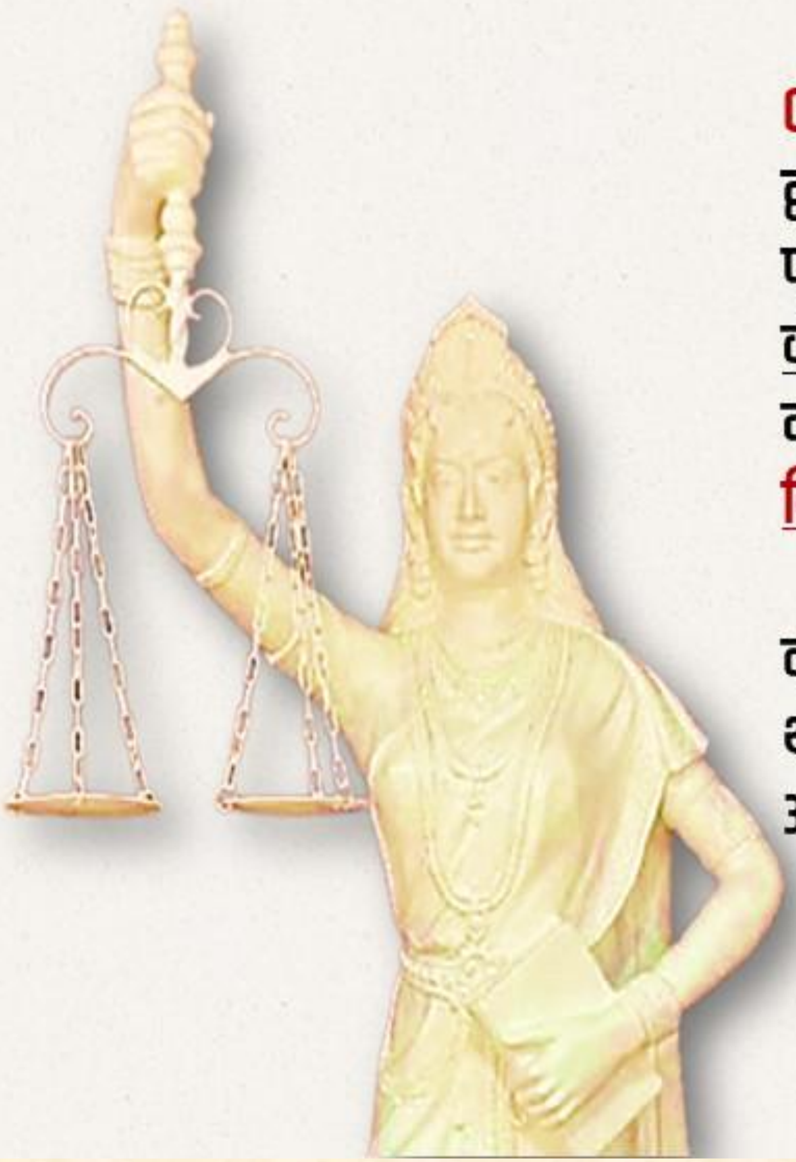

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा की गयी गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन पक्ष के साथ मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप पोक्सो कोर्ट महोबा द्वारा घर में घुसकर नाबालिक के साथ छेड़छाड व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी अभियुक्त को 04 वर्ष के कारावास एवं ₹ 12 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कोतवाली नगर महोबा में पंजीकृत मु0अ0सं0 2012/2021 धारा 452/354/506 भादवि व 08 पाक्सो एक्ट से सम्बंधित आरोपी अभियुक्त रम्मू चौरसिया पुत्र देवकी चौरसिया नि. मलकपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा को दोषसिद्ध घोषित करते हुए 04 वर्ष के कारावास एवं ₹ 12 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

पुष्पेन्द्र मिश्रा
विशेष लोक अभियोजक

अमन सिंह
विशेष लोक अभियोजक

हे.का. प्रेमबाबू द्विवेदी
पैरोकार थाना कोत0 नगर महोबा